BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 21 मार्च, 2025 **थाना खुर्जा नगर**

हत्या का प्रयास व 2.5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक गाडी व घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा, मोबाइल फोन बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 11.03.2025 को वादी रामेश्वर दयाल पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जा नगर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 10.03.2025 की शाम को उनके दोनो बेटे बाइक पर भट्टे से घर आ रहे थे रास्ते में एक कार सवार तीन बदमाशों ने उनपर जान से मारने की नियत से फायर किया व फोन द्वारा 2.5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 205/25 धारा 109/351(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में जांच/छानबीन में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. रोहित, 2. मनीष व 3. आशीष कुमार को थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा दिनांक 20/21.03.2025 की रात्रि में एक अभिसूचना के आधार पर एक गाड़ी व घटना में अवैध असलहा, मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जा नगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. रोहित पुत्र सज्जन सिंह निवासी ग्राम काकरौली हट्टी थाना वड्डा जनपद चरखी दादरी हरियाणा।
2. मनीष पुत्र राममेहर निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना हिसार सदर जनपद हिसार हरियाणा।
3. आशीष कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी सुल्तानपुर थाना हिसार सदर जनपद हिसार हरियाणा।

बरामदगी-

1. 01 अर्टिगा गाड़ी नं0 DL-12CS-5508
2. 01 मोबाइल फोन (घटना में प्रयुक्त)
3. 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं दिल्ली और नोएडा में नौकरी करता था। मैं नवम्बर 2024 में रामेश्वर दयाल फिरोजपुर वालों के खुर्जा वाले भट्टे पर मुनीम की नौकरी मांगने गया था तब रामेश्वर दयाल ने मुझे नौकरी पर रख लिया। मैंने नौकरी के पहले ही दिन शराब पी ली जिस कारण उन्होंने मुझे बहुत ही बेइज्जत करके भगा दिया था। मैने बाद में इनके बारे में कुछ और जानकारी इनके लडके के इंस्ट्राग्राम अकाउण्ट से जुटायी थी तथा दिनांक 10.03.2025 को मैने अपने दो अन्य साथी मनीष व आशीष उपरोक्त के साथ मिलकर एक गाडी स्विफ्ट सफेद रंग जिसका नं0 DL-8CAV-9470 था दिल्ली द्वारका से ZOOM कार एप के माध्यम से बुक की थी। दोपहर के समय उक्त गाडी से हम तीनो लोग गाँव फिरोजपुर आये थे जहाँ हम गाँव के बाहर रास्ते पर गाडी खड़ी करके रामेश्वर दयाल व इसके लडको के आने का इंतजार कर रहे थे तभी शाम के 05.00 बजे करीब एक बुलेट मोटर साइकिल पर रामेश्वर दयाल के दोनो लडके बुलेट से गाँव की ओर आते दिखायी दिये थे तो हमने इन दोनो की बुलेट रुकवाकर इनके ऊपर जान से मारने की नियत से इसी तमंचे से एक गोली मैंने ही चलाई थी तथा फायर करके हम तीनो लोग उसी गाडी से जेवर पलवल होते हुए भाग गये थे फिर हम लोगों ने हरियाणा में सोहना के पास से राह चलते एक व्यक्ति से घर पर बात करने की बात कहकर एक मोबाइल छीन लिया था तथा छीने हुए मोबाइल से फरीदाबाद रोड पर रामेश्वर दयाल के दो मोबाइल नम्बरो पर कॉल करके मनीष ने धमकी दी थी कि या तो ढाई करोड रुपयों का इंतजाम कर लेना अन्यथा तेरे दोनो लडको को जान से मार देंगे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री राजपाल सिंह तोमर थाना प्रभारी खुर्जा नगर
2. व0उ0नि0 परवेज चौधरी, उ0नि0 सुमित मलिक
3. है0का0 इनाम सैफी, है0का0 आशीष कुमार, है0का0 अशोक, है0का0 प्रवेश बैसला, का0 श्यामू सिंह

मीडिया सेल बुलंदशहर